तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रूखमा देवी बनाम मोहनदास वगै. मुकदमा नंबर 189/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.09.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 पर उभय पक्षकारान सुनी गई।	

प्रार्थी/ वादी अधिवक्तां ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी मोहनराम कि मृत्यु दिनांक 10.12.2024 को हो गई व प्रतिवादी ग्यारसी की मृत्यु दिनांक 12.02.2025 को हो गई है दोनो प्रतिवादीगण कि मृत्यु की सुचना द्रिनांक 18.08.2025 को हुई है। प्रतिवादी मोहनराम के निम्न वारीसान है।

1/1 ओमदास पुत्र मोहनदास
1/2 महावीर पुत्र मोहनदास
1/3 सन्तु पुत्री मोहनदास
1/4 सीता पुत्री मोहनदास
— जाति स्वामी निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़

प्रतिवादी संख्या 25 ग्यारसी देवी के निम्न वारीसान है।

25/1 भंवरी पुत्री ग्यारसी देवी
25/2 अमरी पुत्री ग्यारसी देवी
25/3 बसन्ती पुत्री ग्यारसी देवी
25/4 रूखमा पुत्री ग्यारसी देवी
— जाति स्वामी निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़

25/5 स्व. गोपालदास पुत्र ग्यारसी देवी
जयनारायण पुत्र गोपालदास
नागरदास पुत्र गोपालदास
केसर देवी पत्नी गोपालदास
— जाति स्वामी निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़

प्रार्थी/ वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी मोहनदास व प्रतिवादी ग्यारसी देवी के वारिसों को कायम मुकामान बनाये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी/ प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थी/ वादी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी/ वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम मोहनराम ना होकर मोहनदास है एवं उनकी मृत्यु दिनांक 10.12.2024 को होना एवं जानकारी दिनांक 18.08.2025 को होने का कथन किया गया है जबकि फर्द अहकाम दिनांक 29.01.2025 में प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना दी गई है। प्रतिवादी ग्यारसी देवी की मृत्यु की दिनांक 12.02.2025 को होना एवं जानकारी 18.08.2025 को होने का कथन किया गया है एवं प्रतिवादी ग्यारसी देवी के पुत्र स्व. गोपालदास की मृत्यु की दिनांक अंकित नही की जाकर सीधे ही उनके वारिसान की सूचना दी गई है। आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद स्वतः अबेट हो चुका है क्यो कि प्रतिवादी संख्या 01 मोहनदास की मृत्यु-करीब 10 माह पूर्व हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 25 ग्यारसी की मृत्यु करीब 7 माह पूर्व हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 25 ग्यारसी के पुत्र स्व. गोपालदास की मृत्यु का दिनांक अंकित नहीं की गई है। प्रार्थी/ वादी द्वारा कायम मुकाम बनाने हेतु निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 90 दिवस के बाद दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है, 90 दिवस के पश्चात अबेटमेन्ट को निरस्त करवानें हेतु प्रार्थना पत्र 60 दिनो के अन्दर मियांद अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रार्थी/ वादी द्वारा आदेश 22 नियम 9 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत छूट हेतु भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। कानूनी रूप से वादी का दावा पूर्णतया अबेट हो चुका है एवं वादी वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/ वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मोहनदास की मृत्यु दिनांक 10.12.2024 को होना एवं जानकारी दिनांक 18.08.2025 को होने का कथन किया गया है जबकि फर्द अहकाम दिनांक 29.01.2025 में प्रतिवादी की मृत्यु की सूचना दी गई है। प्रतिवादी ग्यारसी देवी की मृत्यु की दिनांक 12.02.2025 को होना एवं जानकारी 18.08.2025 को होने का कथन किया गया है एवं प्रतिवादी ग्यारसी देवी के पुत्र स्व. गोपालदास की मृत्यु की दिनांक अंकित नही की जाकर सीधे ही उनके वारिसान की सूचना दी जाकर मृत्यु दिनांक को छिपाया गया है। प्रार्थी/ वादी द्वारा कायम मुकाम बनाने हेतु निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 90 दिवस के बाद दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है, 90 दिवस के पश्चात अबेटमेन्ट को निरस्त करवानें हेतु प्रार्थना पत्र 60 दिनो के अन्दर मियांद अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। परन्तु प्रार्थी/ वादी द्वारा आदेश 22 नियम 9 एवं मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत छूट हेतु भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। कानूनी रूप से वादी का दावा पूर्णतया अबेट हो चुका है। लिहाजा वादिनी/प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 इसी स्तर पर खारिज किया जाकर वादीनी का वाद अबेटमेन्ट में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी (बीकानेर)
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:09 IST
Reason: SelfAttested